कार्यालय मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जनपद हरिद्वार

उत्तराखण्ड शासन

फोन न0 : 01334-239902, फैक्स न0 : 01334-239610
ई-मेल आई0डी0 : cmoharidwar@rediffmail.com, cmoharidwar2017@gmail.com

NATIONAL HEALTH MISSION
राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन

दिनांक-05.04.2022

पत्रांक-एन0टी0सी0पी0/2022-23/2384-01-04

प्रेषक,

मुख्य चिकित्सा अधिकारी
हरिद्वार

सेवा में,

जिला पर्यटन अधिकारी
हरिद्वार

विषयक – राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत कोटपा अधिनियम 2003 की धारा – 4 के अन्तर्गत समस्त होटलों को तम्बाकू मुक्त बनााने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जैसा कि आप विदित है। कि राष्ट्रीय तम्बाकू नियंत्रण कार्यक्रम के अर्न्तगत कोटपा अधिनियम 2003 की धारा – 4 के अन्तर्गत कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान नही करेगा , परन्तु किसी ऐसे होटल में जिसमे 30 कमरे हो या किसी रेस्तरों में जिसमे 30 या उससे अधिक व्यक्तियों की क्षमता हो और विमानपत्तनों पर धूम्रपान क्षेत्र या स्थानों की अलग से व्यवस्था की जा सके । समस्त सार्वजनिक स्थानों एंव होटलों को धूम्रपान मुक्त किये जाना है। जिस हेतु समस्त होटलों में एन्ट्री में अथवा हर फलोर की पर तम्बाकू निषेध बोर्ड डिस्पले किए जाये एवं रिसेप्शन पर भी लाइटर और माचिस नही होनी चाहिए । कोटपा अधिनियम 2003 के अन्तर्गत सिगरेट और अन्य तम्बाकू उत्पाद (विज्ञापन का प्रतिषेध और व्यापार तथा वाणिज्य उत्पाद ,प्रदाय वितरण का विनिमय) की धारा – 4 के अनुसार सभी सार्वजनिक स्थानों को धूम्रपान रहित घोषित किया जाना है, कोटपा अधिनियम 2003 के प्रभावी कियान्वयन एंव सेकंड हैंड स्मोक से लोगो को बचाने हेतु समस्त होटलों को धुम्रपान मुक्त बनाने में तम्बाकू निषेध बोर्ड डिस्पले किए जाये ।

अतः आप से निवेदन कि कोटपा अधिनियम 2003 धारा – 4 के प्रभावी कियान्वयन एंव सेकंड हैंड स्मोक से लोगो को बचाने हेतु होटलों को तम्बाकू मुक्त बनाने हेतु अपने आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें ।

भवदीय

O/C
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार

तद्दिनांक

पत्रांक-एन0टी0सी0पी0/2022-23/2384-01-04

प्रतिलिपि – निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषितः-

1. मिशन निदेशक राष्ट्रीय स्वास्थ्य एंव परिवार कल्याण उत्तराखण्ड देहरादून ।
2. जिलाधिकारी, हरिद्वार ।
3. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हरिद्वार।

O/C
मुख्य चिकित्सा अधिकारी
जनपद हरिद्वार